कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

क्रमांक प.1( )न्याय/बालविवाह/2020/4068-4080 दिनांकः 23/04/2020

प्रेषिति,

1. जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर।
2. अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर/डीडवाना।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नागौर।
5. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, नागौर।
6. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर।
7. सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता एवं बाल संरक्षण ईकाई, नागौर।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर।
9. उपखण्ड मजिस्ट्रेट .....(समस्त)।
10. तहसीलदार .....(समस्त)।
11. आयुक्त, नगर परिषद, नागौर/मकराना।
12. विकास अधिकारी, समस्त जिला नागौर।
13. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल,.....(समस्त)

विषय :– अक्षय तृतीय (आखातीज) पर बाल विवाहों की रोकथाम हेतु कार्य योजना बाबत।

इस वर्ष अक्षय तृतीया (आखातीज) का पावन पर्व दिनांक 26.04.2020 को नियत है एवं उसके तुरन्त उपरान्त पीपल पूर्णिमा दिनांक 07.05.2020 को पर्व भी आने वाला है। इस अवसर पर अबूझ सावा होने के उपलक्ष में वाल विवाहों के आयोजन की प्रबल संभावनाऐं रहती है। अतः यह संभावित है कि इस दिन कुछ लोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बाल विवाहों के आयोजन के लिए तत्पर है हों। इस सामाजिक बुराई की रोकथाम हेतु जन सहभागीता प्राप्त कर समुचित कदम उठाये जाने के निर्देश प्रासांगिक पत्र द्वारा दिये गये है, जिससे कि सकारात्मक परिणाम प्राप्त किये जा सके।

बाल विवाह की रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों (वृत्ताधिकारी, थानाधिकारिगण, पटवारियों, भू–अभिलेख निरीक्षकों, ग्राम पंचायत सचिवों, ग्राम सेवकों, कृषि पर्यवेक्षकों, महिला विकास अभिकरणों तथा महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग के अध्यापकों, नगरपरिषद् एवं नगरपालिका के कर्मचारियों, जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों तथा वार्ड पंचों) के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार करने एवं आम–जन को जानकारी कराते हुये जनजागृति उत्पन्न करने एवं बाल विवाह रोके जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जावे।

अतः बाल विवाहों को रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है जहां आवश्यक हो, कानून के द्वारा ऐसे बाल विवाहों की रोका जाना है। इसी सदर्भ में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जनसहभागिता व चेतना जागृत करने हेतु कार्य योजना बना कर कार्य किया जाना है जिसके लिए कुछ बिन्दु निम्न प्रकार है:–

1. यह स्पष्ट किया जाता है कि बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी विवाह समारोह में भीड़ इकटठा होती है तो धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता का उल्लंघन होता है तो उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
2. यदि किसी पण्डित द्वारा आदेश के उल्लंघन में किसी विवाह का अनुष्ठापन करवाया जाता है तो वह भी कार्यवाही का भागी होगो।
3. वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर सलाह दी जाती है कि शादि विवाह को लॉक डाऊन के समापन तक स्थगित रखा जावे।
4. जिला, ब्लाक एवं जिला/पंचायत स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय करना।
5. ऐसे व्यक्ति व समुदाय जो विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी है यथा बैण्ड–बाजा, पण्डित, बाराती, पण्डाल व टैन्ट लगाने वाले, हलवाई, ट्रान्सपोटर्स इत्यादि पर बाल विवाह में सहयोग करने का आश्वासन लेना और उन्हे कानून की जानकारी देना जहां आवश्यक हो, समुहों व स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से जन सहभागिता के कार्यक्रम आयोजित करना।
6. निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ चेतना बैठकों का आयोजन करना।
7. ग्राम सभाओं में सामुहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों की चर्चा करना व रोकथाम की कार्यवाही करना।
8. किशोरियों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता जैसे स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, कृषि, समाज कल्याण, प्राथमिक शिक्षा विभागों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करना।
9. विवाह हेतु छपने वाले निमन्त्रण पत्र में वर–बधु के आयु का प्रमाण प्रिन्टिंग प्रेस वालों के पास रहे अथवा निमंत्रण पत्र पर वर–वधु की जन्म तारीख प्रिन्ट किये जाने हेतु बल दिया जावे।

10. सार्वजनिक स्थानों पर सूचना–बॉक्स रखे जावें एवं इस हेतु नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जावे।
11. विद्यालायों के स्तर पर बाल–विवाह के दुष्परिणामों व इससे सम्बन्धित विधिक प्रावधानों की जानकारी दिये जाने हेतु सभी स्कूलों को निर्देशित किया जावे।
12. सामुहिक चर्चा से मिली जानकारी के आधार पर गॉव/मोहल्लों के उन परिवारों में जहां बाल विवाह होने की आशंका हो समन्वित रूप से समझाईश करना। जहां आवश्यक हो, कानून द्वारा बाल विवाहों को रोका जाना।
13. बाल विवाह रोकथाम हेतु विभिन्न विभाग यथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाना। साथ ही पटवारी, अध्यापिका इत्यादि को बाल विवाह होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने हेतु पाबन्द करना।
14. बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक सैल भी बनवाने की व्यवस्था करावें जिसमें आई.सी.डी.एस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी को शामिल किया जावे।

बाल विवाहों की रोकथाम के सम्बन्ध में अपने–अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने के लिए समुचित कार्यवाही करें एवं सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही सम्पादित की जावे। बाल विवाह की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक एवं उपखण्ड कार्यालयों में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जावे जो 24 घण्टे क्रियाशील रहेंगे।

13/4/2020

(दिनेश कुमार यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर